

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी
संचालन-नियमावली

संचिका संख्या-2/वि.60-91/2021-1105/ पटना, दिनांक-21/12/2023

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन विभिन्न जिलों में निर्मित सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाई जाती है:-

(क) सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. जिला पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. उप विकास आयुक्त | - सदस्य |
| 3. अनुमंडल पदाधिकारी | - सदस्य |
| 4. नगर निगम/नगर परिषद के आयुक्त | - सदस्य |
| 5. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 6. विभाग द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जिले के नामित दो कलाकार | - सदस्य |
| 7. जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मि- | कोषाध्यक्ष |

प्रबंधन समिति का दायित्व-उक्त प्रबंधन समिति सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी का रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन, प्रशासन, लेखा, सुरक्षा इत्यादि का नियंत्रक होगा। समय-समय पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप नियमों-विनियमों को निर्धारित कर सकेगा।

आय-व्यय का लेखा-जोखा-सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी के नाम से प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय बैंक में बचत खाता खोला जाएगा एवं प्राप्त राशि उसी खाता में रखी जाएगी। खाता का संचालन किया जायेगा तथा सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी प्रबंधन द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित लेखा-जोखा का संधारण किया जाएगा।

(ख) आयोजन हेतु निम्नांकित शर्तें मान्य होंगी :-

- विषयाधीन सभागार/हॉल का आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर किया जायेगा, लेकिन सरकारी विभागों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- लोकहित/जनहित एवं अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण रद्द करने का अधिकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में आयोजक का कोई आपत्ति या दावा मान्य नहीं होगा।

3. आरक्षण की अवधि 9:00 बजे पूर्वाह्न से 9:00 बजे अपराह्न तक होगी।
4. विषयाधीन सभागार/हॉल का आरक्षण सरकारी विभागों/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था/निजी संस्थाओं को ही किया जायेगा।
5. उक्त भवनों में परीक्षा से संबंधी किसी प्रकार के कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अमर्यादिक कार्य, किसी भी प्रकार का अमर्यादित कार्य, अमर्यादित ईवेंट तथा शादी विवाह/मांगलिक कार्य एवं रैली के लिए भवन का आरक्षण नहीं किया जायेगा।
6. आयोजक द्वारा बाहरी माइक्रोफोन, वीडियो स्क्रीन एवं प्राजेक्टर आदि संबंधन करना वर्जित होगा।
7. 10:00 बजे रात्री के बाद कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं होगी तथा पावर सप्लाई काट दी जायेगी।
8. परिसर में किसी प्रकार के टेंट-पंडाल आदि लगाने/निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. किसी यांत्रिक/विद्युत गड़बड़ी के कारण कार्यक्रम में आंशिक रूकावट होने पर आयोजक का कोई भी आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं होगा।
10. विभागीय निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन कर कार्यक्रम आयोजित होने पर भविष्य में उस आयोजक को कोई सभागार आवंटित/आरक्षित नहीं किया जायेगा।
11. सभागार के आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय अवधि में प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक जमा किया जाएगा। किराया के लिए निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा होने पर ही आवेदन को स्वीकृत किया जायेगा।
12. वेल एवं स्टेज पर कारपेट का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। वेल में कुर्सी नहीं लगाया जायेगा बल्कि वह स्थान सिर्फ मिडिया के लिए कर्णांकित रहेगा।
13. कार्यक्रम के दिन साधारणतः आरक्षित अवधि से 3 घंटा पहले विद्युत प्रबंध एवं अन्य प्रकार की तैयारियों के लिए भवन में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक दिन पूर्व हाल की विधिवत् देय पूर्ण शुल्क की राशि जमाकर बुक कराना होगा। स्टेज पर प्रजेन्टेशन तथा डेकोरेशन के लिए अलग से स्क्रीन लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
14. वातानुकूलन संयंत्र का संचालन कार्यक्रम आरंभ होने के 2 घंटे पूर्व किया जायेगा। वोल्टेज कम होने एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर वातानुकूलन संयंत्र संचालन नहीं होगा।
15. आयोजन हेतु भवन एवं परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन होने की स्थिति में दंडस्वरूप 5,000/- (पांच हजार रुपये) की राशि जमानत की राशि से जप्त की जायेगी।
16. हॉल बरामदा में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री/भोजन सामग्री/चाय/कॉफी इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
17. भवन की दिवारों, वेल एवं स्टेज में कांटी/पीन का उपयोग, भवन एवं पूरे परिसर में किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर चिपकाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। पोस्टर/बैनर का उपयोग चिन्हित स्थान यथा भवन के मुख्य द्वार के आगे ही किया जायेगा।
18. प्रज्ज्वलन उद्घाटन दीप आयोजक का होगा। हॉल के भीतर दीप प्रज्ज्वलन को छोड़कर कोई भी मोमवत्ती या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं किया जायेगा।

19. आयोजनकर्ता द्वारा आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत तथा आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर 25 प्रतिशत तथा एक दिन पूर्व सूचना देने पर 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
20. आयोजन के दिन आरक्षण रद्द करने की सूचना देने या नहीं देने पर आरक्षण शुल्क की कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।
21. आयोजक द्वारा कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का ज्वलशील पदार्थ परिसर एवं भवन के अन्दर लाना तथा उपयोग करना वर्जित होगा।
22. कार्यक्रम की अवधि में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था के संधारण/भीड़ नियंत्रण एवं वाहन पड़ाव में सुगम परिचालन हेतु मैन पावर/पी.ए. सिस्टम की व्यवस्था करना आयोजक की जबाबदेही होगी।
23. कार्यक्रम के पूर्व तैयारी के लिए भी प्रतिदिन के निर्धारित किराया के समान ही अतिरिक्त आरक्षण शुल्क मूल किराया के साथ ही देना होगा। अन्यथा निर्धारित तिथि के पूर्व किसी व्यक्ति/सामग्री का प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ग) सभागार एवं सभागार-सह-आर्ट गैलरी के आरक्षण शुल्क की विवरणी-

क्र०	जिला	विवरणी	जमानत की राशि	आरक्षण शुल्क प्रतिदिन
1	दरभंगा	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
2	सहरसा	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
3	मुंगेर	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
4	पूर्णियां	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
5	बेगूसराय	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
6	गया	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
7	सारण (छपरा)	सभागार 600 क्षमता	10,000/-	20,000/-
		आर्ट गैलरी	1,000/-	2,000/-
8	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	सभागार 2000 क्षमता	15,000/-	40,000/-
9	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	सभागार 2000 क्षमता	15,000/-	40,000/-
10	मुजफ्फरपुर	सभागार 2000 क्षमता	15,000/-	40,000/-

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।